17.5.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान -
न्याय आपके द्वार 2017 के अटल सेवा
केन्द्र रूपाणा मानजी में पेश हुई
लोक अदालत नोटिस बाद तामील शुदा प्राप्त
हुई। जो शामिल मिसिल किये गये। विपक्षीगण
बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने
पर इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल
में लाई जाती है। प्रकरण का निस्तारण
गुणावगुण पर करते हुए प्रार्थीगण का
आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश
पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और
शामिल मिसिल किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सणपा मानजी)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.11 / 2017

प्रार्थीगण

1 मानाराम पुत्र विरदाराम

2 पदमाराम पुत्र विरदाराम

जाति जाट निवासी सोढ़ों की ढाणी,सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1 जगतसिंह पुत्र रिड़मलसिंह

2 दलपतसिंह पुत्र रिड़मलसिंह

3 नैनसिंह पुत्र रिड़मलसिंह

4 मुकेश कुमार पुत्र रिड़मलसिंह

5 जालमसिंह पुत्र रिड़मलसिंह

6 रेखोंकंवर पत्नि रिड़मलसिंह

7 किस्तुरसिंह पुत्र हेमसिंह

8 डाउसिंह पुत्र हेमसिंह

9 दमीदेवी पत्नि हेमसिंह

10 प्रभू वल्द भगवाना

11 भरतसिंह प छोगसिंह

12 सूरजसिंह पुत्र छोसिंह

13 शायरोंकवंर पत्नि छोगसिंह

14 मानसिंह पुत्र कोहलसिंह जातियान पुरोहित

निवासी सोढों की ढाणी,सणपा मानजी तहसी सिणधरी व जिला बाड़मेर

15. भंवरसिंह पुत्र अगरसिंह

16 बाघसिंह पुत्र पाबूदानसिंह

17 अमरा पुत्र धन्ना

18 उदा पुत्र भैरा

19 मोहन पुत्र भैरा

20 किस्तुरा पुत्र भैरा

21 तेजा पुत्र भैरा

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

...से (किसी से) सम्बन्ध नहीं होगा। इति दिनांक ......

Scanned by CamScanner

22 प्रभू पुत्र भैरा

23 मगा पुत्र हडमता

24 मूला पुत्र हडमता जाति पुरोहित निवासी सोढ़ों की ढाणी,सणपा मानजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

25 बाबूसिंह पुत्र नारायणसिंह

26 सगतसिंह पुत्र नारायणसिंह

27 निम्बसिंह पुत्र नारायणसिंह

28 देवीसिंह पुत्र प्रेमसिंह

29 दलपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह

30 संगीता पुत्री प्रेमसिंह

31.गीगीदेवी पत्नि प्रेमसिंह जाति पुरोहित निवासी सोढों की ढाणी, सणपा मानजी हाल डण्डाली तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक– 17/5/17

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सोढ़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 526/385 रकबा 32 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सोढ़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 526/385 रकबा 32 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम सोढ़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 526/385 रकबा 32 बीधा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2070 से 2073 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम सोढ़ों की ढाणी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 526/385 रकबा 32 बीधा** भूमि के सम्बन्ध में नेखमबंदी करने से पूर्व विवादित भूमि की नियमानुसार सीमाज्ञान की कार्यवाही की जावें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियामानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

17/5/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 17/5/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

17/5/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner